

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 अगस्त 2020—श्रावण 16, शक 1942

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 25 जून 2020

क्रमांक ई 1-09/2019/एक-2.—राज्य शासन एतद्वारा वर्ष 2019 बैच के निम्नलिखित परिवीक्षाधीन भा.प्र.से. अधिकारियों की निम्नानुसार नवीन पदस्थापना की जाती है :—

क्र.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री ललितादित्य नीलम	सहायक कलेक्टर, जिला-राजनांदगांव	सहायक कलेक्टर, जिला-बिलासपुर

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	सुश्री नम्रता जैन	सहायक कलेक्टर, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा.	सहायक कलेक्टर, जिला-रायपुर
3.	सुश्री रेना जमील	सहायक कलेक्टर, जिला-कांकेर	सहायक कलेक्टर, जिला-बस्तर
4.	श्री विश्वदीप	सहायक कलेक्टर, जिला-कोरिया	सहायक कलेक्टर, जिला-सरगुजा

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 29 जून 2020

क्रमांक एफ-1-06/2019/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्वारा प्रशासनिक आधार पर तत्काल प्रभाव से निम्नांकित भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों/राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में दर्शित पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त तक पदस्थ करता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्री अजय कुमार यादव (भा.पु.से.-2004)	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला-दुर्ग	पुलिस अधीक्षक, जिला-रायपुर
2.	श्री शेख आरिफ हुसैन (भा.पु.से.-2005)	पुलिस अधीक्षक जिला रायपुर एवं उप पुलिस महानिरीक्षक, ई.ओ.डब्ल्यू. एवं ए.सी.बी. का अतिरिक्त प्रभार.	उप पुलिस महानिरीक्षक, ई.ओ.डब्ल्यू. एवं ए.सी.बी.
3.	श्री बी.एस.ध्रुव (भा.पु.से.-2006)	सेनानी, सी.टी.जे.डब्ल्यू., कॉलेज, कांकेर.	सहायक पुलिस महानिरीक्षक, नक्सल ऑपरेशन, पुलिस मुख्यालय, रायपुर.
4.	श्री इंदिरा कल्याण एलेसेला (भा.पु.से.-2011)	पुलिस अधीक्षक, ई.ओ.डब्ल्यू. रायपुर	पुलिस अधीक्षक, जिला-बलौदाबाजार- भाटापारा.
5.	श्री प्रशांत कुमार ठाकुर (भा.पु.से.)	पुलिस अधीक्षक, जिला-बलौदाबाजार- भाटापारा.	पुलिस अधीक्षक, जिला-दुर्ग
6.	श्री आशुतोष सिंह (भा.पु.से.-2012)	पुलिस अधीक्षक, जिला-सरगुजा	सेनानी, 4 थी वाहिनी, छसबल, माना, रायपुर.
7.	श्री टी. आर. कोशिमा (भा.पु.से.)	पुलिस अधीक्षक, जिला-बलरामपुर	पुलिस अधीक्षक, जिला-सरगुजा
8.	श्री रामकृष्ण साहू, (भा.पु.से.)	सेनानी, 4 थी वाहिनी, माना, रायपुर	पुलिस अधीक्षक, जिला-बलरामपुर.

(1)	(2)	(3)	(4)
9.	श्री बालाजी राव सोमावार (भा.पु.से.-2007)	पुलिस अधीक्षक, जिला-कोण्डागांव	पुलिस अधीक्षक, जिला-जशपुर
10.	श्री शंकर लाल बघेल (भा.पु.से.-2010)	पुलिस अधीक्षक, जिला-जशपुर	सेनानी, सी.टी.जे.डब्ल्यू. कॉलेज, कांकेर
11.	श्री सिद्धार्थ तिवारी (भा.पु.से.-2015)	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सुकमा	पुलिस अधीक्षक, जिला-कोण्डागांव
12.	श्री उद्दयदी उदय किरण, (भा.पु.से.-2015)	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, कोरबा	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दंतेवाड़ा
13.	श्री सुनील शर्मा (भा.पु.से.-2017)	नगर पुलिस अधीक्षक, आजाद चौक, रायपुर.	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सुकमा
14.	श्री पंकज चंद्रा (रा.पु.से.)	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, रायपुर	पुलिस अधीक्षक, ई.ओ.डब्ल्यू./ए.सी.बी., रायपुर (राज्य प्रतिनियुक्ति पर).
15.	श्री अभिषेक माहेश्वरी (रा.पु.से.)	नगर पुलिस अधीक्षक, उरला, जिला- रायपुर.	सहायक पुलिस महानिरीक्षक, इंटेलिजेन्स के साथ अतिरिक्त प्रभार-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, क्राईम, रायपुर.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार श्रीवास्तव, अवर सचिव.

सहकारिता विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 22 जून 2020

क्रमांक एफ 1-21/2018/15-1.—राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2018 के लिए आयोजित लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के परिणामस्वरूप दिनांक 01-02-2020 के परिणाम के आधार पर राज्य प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति के लिए अनुशंसित निम्नलिखित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक दो वर्ष की परीक्षा पर सहकारिता विभाग अंतर्गत वेतनमान रु. 15600-39100+5400 (वेतन मैट्रिक्स लेवल 12) में सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं के पद पर नियुक्त किया जाता है तथा उन्हें उनके नाम के सम्मुख दर्शाये कॉलम-4 में उल्लेखित जिले में पदस्थ किया जाता है :—

स. क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित सूची का सरल क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम तथा गृह जिला	प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना जिला
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	1	कु. माहेश्वरी तिवारी, पिता श्री गीता राम तिवारी, व्ही.आई.पी. सीटी, गेट नंबर-2 के पास, राजीव विहार, लिंगियाडीह, बिलासपुर (छ.ग.). स्थायी पता -ग्राम+पोस्ट+थाना-बिरा, तह. चांपा, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.).	कार्यालय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग (छ.ग.).

2. यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के चरित्र के संबंध में दिए गए वचन-पत्र के आधार पर अनंतिम रूप से प्रदान की जा रही है। पुलिस सत्यापन में कोई ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर जो संबंधित अभ्यर्थी को अनर्ह/अनुपयुक्त सिद्ध करती हो तो बिना किसी पूर्व सूचना के उसकी सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
3. उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारी को जब प्रशासन अकादमी, रायपुर में प्रशिक्षण हेतु बुलाया जाएगा, तब वे अपनी उपस्थिति जिले से प्रशासन अकादमी, निमोरा रायपुर में दें तथा प्रशिक्षण प्राप्त करें।
4. परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि के दौरान में विहित प्रशिक्षण, प्रशासन अकादमी निमोरा रायपुर में प्राप्त करना अनिवार्य होगा और प्रशिक्षण के पश्चात् अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में अनिवार्यतः सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। प्रशासन अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में प्रथम बार में असफल होने पर अधिकारी को अकादमी के आगामी प्रशिक्षण में सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करने के निर्देश दिए जा सकेंगे।
5. परिवीक्षाधीन अधिकारी को अपनी परिवीक्षा अवधि में उच्च मानकों द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होंगी। नियुक्ति प्राधिकारी पर्याप्त कारणों से एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकेगा। जो व्यक्ति उपर्युक्त अनुसार विहित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण न हुआ हो अथवा जो सेवा के लिए अनुपयुक्त पाया गया हो, की सेवाएं परिवीक्षा अवधि के अंत में समाप्त की जा सकेंगी। परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवाएं परिवीक्षा अवधि के दौरान भी समाप्त की जा सकेंगी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में उसका उपयुक्त शासकीय कर्मचारी बनना संभव न हो।
6. अधिकारी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता आदि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के अंतर्गत शासित होगी।
7. उपर्युक्त पदाभिलाषी की नियुक्ति मेडिकल बोर्ड से चिकित्सीय योग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य पाये जाने पर इनकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जावेगी।
8. उपर्युक्त पदाभिलाषी द्वारा दी गई जानकारी/प्रमाण-पत्र यदि गलत पाये गये तो उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी।
9. परिवीक्षाधीन अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व एक बाण्ड शासन के हित में निष्पादित करना होगा कि वह परिवीक्षा अवधि का सफलतापूर्वक पार करने की दशा में परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गई राशि जिसमें वेतन, भत्ते एवं यात्रा व्यय शामिल होगा, की वापसी के लिए उत्तरदायी रहेगा। बाण्ड का प्रारूप संलग्न है।

“प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पद के संबंध में आरक्षण नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है।”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. सिंह, अवर सचिव.

चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 1 जुलाई 2020

क्रमांक एफ 3-37/2019/पचपन-4.—राज्य शासन, एतद्द्वारा राज्य चिकित्सा सेवा के डॉ. आदित्य पारख, सहायक प्राध्यापक, जनरल सर्जरी विभाग, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, राजनांदगांव का शासकीय सेवा से त्याग पत्र स्वीकृत करने हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 06-09-2019 के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 08-10-2019 अपराह्न से सेवा से त्याग पत्र स्वीकृत करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील नारायणिया, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 28 जुलाई 2020

क्रमांक/11235/भू-अर्जन/2020.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पाली	रेंकी प.ह.नं. 43	3.568	कार्यपालन अभियंता, सह सदस्य सचिव परियोजना क्रियान्वयन ईकाई छ.ग.ग्रा.स.वि. अभिकरण कोरबा.	हरदीबाजार बायपास मार्ग निर्माण लंबाई 11.76 कि.मी. (व्हायरतिजा, रेंकी, बम्हनी-कोना, सरईसिंगार).

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 28 जुलाई 2020

क्रमांक/11238/भू-अर्जन/2020.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पाली	अण्डीकछार प.ह.नं. 38	1.130	कार्यपालन अभियंता, सह सदस्य सचिव परियोजना क्रियान्वयन ईकाई छ.ग.ग्रा.स.वि. अभिकरण कोरबा.	हरदीबाजार बायपास मार्ग निर्माण लंबाई 11.76 कि.मी. (व्हायरतिजा, रेंकी, बम्हनी-कोना, सरईसिंगार).

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 30 जुलाई 2020

क्रमांक/11346/भू-अर्जन/2020.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पाली	बम्हनीकोना प.ह.नं. 42	2.463	कार्यपालन अभियंता, सह सदस्य सचिव परियोजना क्रियान्वयन ईकाई छ.ग.ग्रा.स.वि. अभिकरण कोरबा.	हरदीबाजार बायपास मार्ग निर्माण लंबाई 11.76 कि.मी. (व्हाया रतिजा, रेंकी, बम्हनी- कोना, सरईसिंगार).

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 30 जुलाई 2020

क्रमांक/11349/भू-अर्जन/2020.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पाली	सरईसिंगार प.ह.नं. 44	0.748	कार्यपालन अभियंता, सह सदस्य सचिव परियोजना क्रियान्वयन ईकाई छ.ग.ग्रा.स.वि. अभिकरण कोरबा.	हरदीबाजार बायपास मार्ग निर्माण लंबाई 11.76 कि.मी. (व्हाया रतिजा, रेंकी, बम्हनी- कोना, सरईसिंगार).

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 30 जुलाई 2020

क्रमांक/11352/भू-अर्जन/2020.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पाली	नेवसा प.ह.नं. 42	0.688	कार्यपालन अभियंता, सह सदस्य सचिव परियोजना क्रियान्वयन ईकाई छ.ग.ग्रा.स.वि. अभिकरण कोरबा.	हरदीबाजार बायपास मार्ग निर्माण लंबाई 11.76 कि.मी. (व्हाया रतिजा, रेंकी, बम्हनी-कोना, सरईसिंगार).

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
किरण कौशल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़

बिलासपुर, दिनांक 29 जून 2020

क्रमांक 3554/व.भू.उ.प्र./न.ग्रा.नि./2020.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि जयरामनगर-मस्तूरी निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है. उसकी एक-एक प्रति कार्यालय आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर, कार्यालय कलेक्टर, जिला बिलासपुर, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मस्तूरी, जिला बिलासपुर एवं संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, नया कंपोजिट बिल्डिंग, कलेक्टोरेट परिसर बिलासपुर छ.ग. में दिनांक 09-07-2020 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है.

जयरामनगर-मस्तूरी निवेश क्षेत्र की सीमाएं निम्न अनुसूची में अंकित हैं :—

अनुसूची

जयरामनगर-मस्तूरी निवेश क्षेत्र की सीमाएं

- उत्तर में : ग्राम खपरी, परसदा, भेलाई एवं पाराघाट ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम पाराघाट, देवगांव, हिरी एवं रिसदा ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम रिसदा, कोहरौदा, पेन्डी एवं सरगवां ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम सरगवां, मस्तूरी, आंकडीह, किरारी एवं खपरी ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किए गए भूमि के वर्तमान उपयोग मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थलों पर इस सूचना के छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस की समयावधि के भीतर लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाना होगा.

भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधित उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर प्राप्त हो, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा विचार किया जावेगा.

निरीक्षण स्थल :

1. संभागायुक्त, बिलासपुर संभाग, (छ.ग.) की ओर कृपया सूचनार्थ संप्रेषित.
2. कार्यालय कलेक्टर, जिला बिलासपुर (छ.ग.) की ओर कृपया सूचनार्थ संप्रेषित.
3. कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मस्तूरी, जिला बिलासपुर (छ.ग.).
4. कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, नया कम्पोजिट बिल्डिंग, बिलासपुर जिला बिलासपुर (छ.ग.).

No. 3554/व.भू.उ.प्र./न.ग्रा.नि./2020.—Notice is hereby given that the existing land use maps for the Jairamnagar-Masturi Planning Area has been prepared under sub section (1) of Section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973), and a copy there of is available for inspection from date 09-07-2020 during office hours in the offices of the Commissioner, Bilaspur Division, Bilaspur Collector District Bilaspur CG., Sub Divisional Officer (Revenue) Masturi, District-Bilaspur and Joint Director Town and Country Planning New Composite Building, Collectorate Premises Bilaspur C.G.

The limits of Jairamnagar-Masturi Planning Area are detailed in Schedule given Below :—

SCHEDULE

Limits of Jairamnagar-Masturi Planning Area

NORTH	:	Village Khapri, Parsada, Bhelai and up to the northern boundary of Paraghat.
EAST	:	Village Paraghat, Deogaon, Hirri and up to the eastern boundary of Risda.
SOUTH	:	Village Risda, Koharauda, Pendari and up to the southern boundary of Sargawan.
WEST	:	Village Sargawan, Masturi, Ankdihi, Kirari and up to the western boundary of Khapri.

If there be any objection or suggestion with respect to the existing land use map and register so prepared, it should be sent in writing to the above mentioned places, within a period of thirty days from the date of publication of the notice in the “Chhattisgarh Gazette”.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map and register before the period specified above will be considered by the Joint Director, Town and Country Planning Bilaspur, Chhattisgarh.

Inspection Site :

1. Office of the Division Commissioner Bilaspur, Division (C.G.)
2. Office of the, Collector, Bilaspur (C.G.)
3. Office of the Sub Divisional Officer (Revenue), Masturi District-Bilaspur (C.G.)
4. Office of Joint Director Town & Country Planning New Composite Building, Collectorate Premises Bilaspur.

विनीत नायर,
संयुक्त संचालक.